भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 152
(जिसका उत्तर सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"मार्बल और ग्रेनाइट पर जीएसटी"

152. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में 15.11.2017 से मार्बल और ग्रेनाइट स्लैबों पर माल एवं सेवा कर(जीएसटी) की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कच्चे और मोटे तौर पर छांटे गए मार्बल और ग्रेनाइट पर 5 प्रतिशत की दर से और उनके ब्लॉकों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब से लगाया जा रहा है;

(घ) क्या कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, सरकार का मार्बल और ग्रेनाइट उद्योगों, जो देश की प्रति माह करोड़ों रुपए का राजस्व प्रदान करते हैं, में वैश्विक मंदी से राहत प्रदान करने के लिए मार्बल और ग्रेनाइट स्लैबों पर विद्यमान जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने और जीएसटी में संतुलन बनाए रखने के लिए उनके कच्चे उत्पादों पर 5 प्रतिशत की अनिवार्य जीएसटी इनपुट और आउटपुट लगाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) :जीएसटी परिषद् की दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को हुई 23वीं बैठक की अनुशंसा के आधार पर मार्बल और ग्रेनाइट स्लैबों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है जो कि दिनांक 15.11.2017 से प्रभावी है।

(ख) तथा (ग) : कच्चे और मोटे तौर पर छांटे गए मार्बल और ग्रेनाइट और उनके स्लैबों पर जीएसटी दर का विवरण इस प्रकार है।

क्रम सं.	विवरण	जीएसटी दर	प्रभावी
1.	कच्चे और मोटे तौर पर छांटे गए मार्बल और ट्रेवटाईन	5%	01.01.2019
2.	मार्बल और ट्रेवटाईन स्लैब	12%	01.07.2017
3.	ग्रेनाइट, कच्चे और मोटे तौर पर छांटे गए	5%	01.07.2017
4.	ग्रेनाइट स्लैब	12%	01.07.2017

(घ) तथा (ङ) :माल और सेवाओं पर जीएसटी की दर को जीएसटी परिषद् की अनुशंसा के आधार पर अधिसूचित किया जाता है। इस परिषद् ने मार्बल और ग्रेनाइट स्लैब पर जीएसटी को घटाने की कोई भी सिफारिश नहीं की है।

*****